**राजस्थान सरकार**
**वित्त (आबकारी) विभाग**

क्रमांक प.11(16)वित्त/आब/2019 जयपुर, दिनांकः 10/06/2025

## आदेश

राजस्थान आबकारी (निवारक शाखा अधिकारी) सेवा नियम, 1967 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 24.02.2023 के अनुसार श्री राकेश शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.1(10)कार्मिक/क–3/जांच/2021 दिनांक 15.09.2021 जारी होकर विभागीय जांच लम्बित होने के कारण अन्तिम निर्णय के अध्यधीन श्री राकेश शर्मा को रिक्ति वर्ष 2022–23 में आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा सील कवर की गयी थी।

श्री राकेश शर्मा के विरूद्ध विचाराधीन उक्त ज्ञापन को कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (10)कार्मिक/क–3/जांच/2021 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा समाप्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 24.02.2023 के अनुसार श्री राकेश शर्मा को वर्ष 2022–23 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2022–23 में इन्हें आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री राकेश शर्मा को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2022 से देय होगा तथा श्री राकेश शर्मा के दिनांक 31.12.2022 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो जाने एवं दिनांक 26.01.2025 को स्वर्गवास हो जाने के कारण वास्तविक लाभ नियमानुसार देय होगा। ।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
**संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव**

D:\rajesh gurjar\DPC Order.doc